(118)

न्यायालय राजस्व मंडल मोती महल ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/2308 प्रकरण क्रमांक ..../निगरानी/..........

अन्नपूर्णा उर्फ अनुसईया बाई जोशी पति श्री भंवरलाल जोशी
निवासी – 179, वृदावन गार्डन. पिपल्याहाना, जिला इंदौर (म.प्र.)

........................प्रार्थी

विरूद्ध

1. सुरेश पिता रामेश्वरदास बंसल
   निवासी – दिल्ली इन्दौर का पता
   10 बीए/एस.आर कम्पाउंड देवास नाका, इन्दौर

2. चंदा पति श्री ललित पाटनी
   निवासी – 344, ए.डी. स्कीम नं. 74–सी, जिला इंदौर (म.प्र.)

श्री अशोक प्रन अभि० द्वारा कैम्प ऑफ पर प्रस्तुत
18/8/17

3. बापूसिंह पिता ओंकारसिंह राजपूत
   ग्राम – अरंडिया, तहसील एवं जिला – इन्दौर

4. राजस्व निरीक्षक कार्यालय,
   कार्यालय–राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2
   विजय नगर क्षेत्र तहसील इन्दौर जिला इन्दौर

5. श्रीमान तहसीलदार, विजय नगर क्षेत्र
   कलेक्टर कार्यालय, तहसील एवं जिला– इन्दौर

....................प्रतिप्रार्थीगण

<u>आवेदन म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 32 अंतर्गत</u>

आवेदक की ओर से अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक कार्यालय, राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2 विजय नगर क्षेत्र तहसील इन्दौर जिला इन्दौर द्वारा दिनांक ~~22.06.2017 एवं 10.07.2017 तथा तदुपरांत~~ दिनांक 28.06.2013 को निष्पादित सीमांकन, पंचनामा एवं फील्ड बुक से पीड़ित एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1. यह कि, प्रतिप्रार्थी क्रं. 4 द्वारा उक्त पंचनामा एवं फील्डबुक में विधि की गंभीर भूल एवं त्रुटि की गई है। इस संबंध में पंचनामा दिनांक 28.06.2013 एवं फील्ड बुक की छायाप्रति **<u>प्रदर्श पी/1</u>** पर संलग्न है।

2. यह कि, प्रार्थी विधिवत् रूप से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30/5/93 से ग्राम अरंड़िया स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रं. 30/1/2 एवं 32/1 क्रमशः रकबा 0.267 हेक्टेयर एवं 0.348 हेक्टेयर होकर उस पर स्वामी नाते काबिज होकर उस पर उसका लगातार, शांतिपूर्वक, निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। इस संबंध में पंजीकृत विक्रय विलेख की छायाप्रति **<u>प्रदर्श पी/2</u>** पर सलग्न है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / इंदौर / भू.रा. / 2017 / 2308

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/7/17	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदिका की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 विजयनगर क्षेत्र जिला इंदौर द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही एवं पंचनामा दिनांक 28–6–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 18–7–16 को लगभग 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, और विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण दर्शाये गये हैं, वह समाधानकारक नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	